Title: Demand the Government to issue the appointment letters to the 47 selected candidates belonging to the OBC during the Indian Administrative Services (IAS) Examination 1997 and also enquire the delay caused by the guilty officials.

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान अन्य पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों पर हो रहे घोर अन्याय की ओर दिलाना चाहता हूं।

संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज परीक्षा १९९७ में कुल ६२१ रिक्तियों के लिए आवेदन मांगा था जिसकी लिखित परीक्षा नवम्बर-दिसम्बर १९९७ में हुई थी तथा अप्रैल-मई १९९८ में साक्षात्कार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिया गया था। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज़ परीक्षा में ६२१ उम्मीदवार सफल घोषित किए गए जिसमें पिछड़ा वर्ग के कुल २१५ सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग ने केन्द्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय से सिफारिश की थी। इनमें ४९ उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में, १६६ उम्मीदवार आरक्षण श्रेणी के थे। लेकिन केन्द्र सरकार (कार्मिक मंत्रालय) ने संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को दरकिनार करके अन्य पिछड़ा वर्ग के ४७ उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया और सेवा में लेने से वंचित कर दिया है । जबकि भारत सरकार के राजपत्र के मुताबिक सामान्य योग्यता स्तर पर चुने गए अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जा सकता। इस तरह नियमों का उल्लंघन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के ४७ उम्मीदवारों को अखिल भारतीय सेवा से वंचित कर देने का केन्द्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय का फैसला संविधान की खुली अवहेलना है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस संबंध में सदन को जानकारी दे तथा सभी ४७ अन्य पिछड़े वर्ग के शेष पास उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करें तथा दोषी अधिकारी को दंडित करने की कार्रवाई करें।

... (व्यवधान) <